

राजस्थान सरकार

# मेड़ता सिटी मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर

## नगर नियोजन विभाग

राजस्थान सरकार


## आभार

मेड़ता सिटी नागौर जिले की एक प्रमुख कृषि उपज मण्डी है। यह नगर राजस्थान के मध्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर स्थित है। यह जिला मुख्यालय नागौर एवं सम्भाग मुख्यालय अजमेर से 80 किलोमीटर तथा राजधानी जयपुर से लगभग 215 किलोमीटर दूरी पर है। यह शहर ब्यावर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, अजमेर एवं जयपुर से सडक मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर के लिए मेड़ता रोड जंक्शन से रेल सेवा उपलब्ध होती है जो 13 किलोमीटर दूरी पर है। वर्ष 1951 में मेड़ता सिटी की जनसंख्या मात्र 7102 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 40252 हो गई। वर्तमान में नगर का विकास पूर्व दिशा में ग्राम डांगावास एवं पश्चिम दिशा में ग्राम सोगावास तक हो गया है। इस विकास के आधार पर इन तीनों अधिवासों को मिलाकर, आधार वर्ष 2010 में जनसंख्या लगभग 63000 होने का आंकलन किया गया है।

नगर के अनियंत्रित विकास ने अनेक नगरीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें अपर्याप्त आवासन, संकड़े रास्तों पर उत्तरोत्तर बढ़ता यातायात, अनियोजित वाणिज्यिक केन्द्रों का विस्तार तथा मूलभूत एवं सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन नगरीय समस्याओं पर समय रहते नियंत्रण एवं भविष्य में नियोजित नगरीय विकास के साथ-साथ आम जनता को आवास हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई जाकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मास्टर प्लान, जो कि एक दीर्घकालीन योजना है, द्वारा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने राज्य में स्थित समस्त नगरों के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मेड़ता सिटी का मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया है।

राज्य सरकार की अधिसूचना प.10(3)नवि/3/11 दिनांक 28.01.2011 के अनुसरण में नगर नियोजन विभाग द्वारा मेड़ता सिटी का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया एवं जिसके पश्चात वर्ष 2010 तक हुए समस्त विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया, जिसको राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के तहत आमजन से आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया गया है। इस मास्टर प्लान से नगर की जनता की भावी आवश्यकताओं की जहां पूर्ति सम्भव होगी, वहीं मास्टर प्लान के उद्देश्य पूर्ण होने से शहर को स्वच्छ एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान हो सकेगी।

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उसके नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। कोई भी योजना जनहित में बनाई जाती है, वह योजना जनता के सक्रिय सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है अतः इस प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पहले जनसाधारण से प्राप्त होने वाले आपत्ति एवं सुझावों का विस्तार से विश्लेषण एवं अध्ययन कर यथोचित सुझावों को समाहित किये जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। मास्टर प्लान तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को संकलित करने की आवश्यकता होती है। इस विशेष कार्य में नगर पालिका, मेड़ता सिटी के साथ-साथ विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सत्त सहयोग प्रदान किया है। मेड़ता सिटी के सुनियोजित विकास हेतु तैयार किए गए इस मास्टर प्लान के लिए आयोजित "स्टेक होल्डर्स" की बैठक में दिये गये सुझाव एवं समय-समय पर मेड़ता सिटी के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों ने अपने अमूल्य सुझाव प्रदान किये हैं। मैं ऐसे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आशा है कि मेड़ता सिटी के प्रबुद्ध नागरिक भविष्य में इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।



(आर. एल. टुकलिया)  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
अजमेर जोन, अजमेर

## योजना-दल

- 1 श्री एच० एस० संचेती : मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान, जयपुर
- 2 श्री आर० पी० शर्मा : अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)  
राजस्थान, जयपुर
- 3 श्री आर० एल० टुकलिया : वरिष्ठ नगर नियोजक  
अजमेर जोन, अजमेर
- 4 श्री श्रीगोपाल चित्तौड़िया : उप नगर नियोजक, अजमेर
- 5 श्रीमती प्रीति गुप्ता : सहायक नगर नियोजक, अजमेर
- 6 श्री अंकुर देवत : सहायक नगर नियोजक, अजमेर
- 7 श्री राजीव रतन मीणा : जिला नगर नियोजक, नागौर

## सहयोगी दल

- 1 श्री मूलचन्द डीडवानियाँ : निजी सहायक
- 2 श्री हरिशंकर जाजू : कनिष्ठ लेखाकार
- 3 श्री मुकुल कुमार मीणा : कनिष्ठ अभियन्ता
- 4 श्री एस.एस. राजपूत : अन्वेषक ग्रेड-द्वितीय
- 5 श्री कानाराम जाखड : अन्वेषक ग्रेड-द्वितीय
- 6 श्री अमरचन्द शर्मा : नगर नियोजन सहायक
- 7 श्री श्रवण कुमार शर्मा : वरिष्ठ प्रारूपकार
- 8 श्री रूपाराम चौधरी : अनुरेखक
- 9 श्री गोरधन : वरिष्ठ लिपिक
- 10 श्री अमरचन्द संवासिया : वरिष्ठ लिपिक
- 11 श्री राजेश वर्मा : कनिष्ठ लिपिक

# विषय – सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	आभार	i
	योजना दल	iii
	विषय सूची	iv
	तालिका सूची	vii
1.	परिचय	1
2.	विद्यमान विशेषताएं	3
	2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	3
	2.3 ऐतिहासिक	4
	2.4 जनांकिकी	5
	2.5 व्यावसायिक संरचना	6
	2.6 विद्यमान भू-उपयोग	7
	2.6 (1) आवासीय	8
	2.6 (1) (अ) आवासन	8
	2.6 (1) (ब) कच्ची बस्तियां	9
	2.6 (2) वाणिज्यिक	9
	2.6 (3) औद्योगिक	10
	2.6 (4) राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	10
	2.6 (5) आमोद-प्रमोद	11
	2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	11
	2.6 (6) (अ) शैक्षणिक	11
	2.6 (6) (ब) चिकित्सा	12
	2.6 (6) (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	13
	2.6 (6) (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं	13
	2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएं	13
	2.6 (6) (य) (i) जलापूर्ति	13
	2.6 (6) (य) (ii) विद्युत आपूर्ति	14
	2.6 (6) (य) (iii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	15
	2.6 (6) (य) (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान	15
	2.6 (7) परिसंचरण	15

2.6 (7) (अ) यातायात व्यवस्था	15
2.6 (7) (ब) बस एवं ट्रक टर्मिनल	16
2.6 (7) (स) रेल एवं हवाई सेवा	16
<b>3. नियोजन की संकल्पना</b>	17
3.1 नियोजन की नीतियां	18
3.2 नियोजन के सिद्धान्त	18
<b>4. भावी आकार</b>	21
4.1 जनांकिकी	21
4.2 व्यावसायिक संरचना	22
4.3 नगरीय क्षेत्र	22
4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	23
4.5 योजना क्षेत्र	23
4.5 (अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र	24
4.5 (ब) औद्योगिक योजना क्षेत्र	24
4.5 (स) सोगावास योजना क्षेत्र	25
4.5 (द) डांगावास योजना क्षेत्र	25
4.5 (य) परिधि नियंत्रण पट्टी	25
<b>5. भू-उपयोग योजना</b>	26
5.1 आवासीय	27
5.1 (1) आवासन	27
5.1 (2) इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवास	27
5.2 वाणिज्यिक	28
5.2 (1) प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र	28
5.2 (2) सामुदायिक केन्द्र	29
5.2 (3) अन्य वाणिज्यिक केन्द्र	29
5.2 (4) थोक व्यापार	29
5.2 (5) भण्डारण एवं गोदाम	30
5.3 औद्योगिक	30
5.3 (1) औद्योगिकक्षेत्र	30
5.3 (2) घरेलू उद्योग	30
5.4 राजकीय एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	30
5.5 आमोद-प्रमोद	31
5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल	31
5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान	31
5.5 (3) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन	31
5.5 (4) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	32
5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	32
5.6 (1) शैक्षणिक	32

5.6 (2) चिकित्सा	33
5.6 (3) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	33
5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं	34
5.6 (5) जनपयोगी सुविधाएं	34
5.6 (5) (अ) जलापूर्ति	34
5.6 (5) (ब) विद्युत आपूर्ति	34
5.6 (5) (स) जल-मल निकास व्यवस्था	34
5.6 (5) (द) ठोस कचरा प्रबन्धन	35
5.6 (5) (य) श्मशान एवं कब्रिस्तान	35
5.7 परिसंचरण	35
5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना	36
5.7 (1) (अ) सड़कों का मार्गाधिकार	36
5.7 (1) (ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	38
5.7 (1) (स) पार्किंग स्थलों का विकास	39
5.7 (1) (द) चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण	39
5.7 (2) बस अड्डा तथा यातायात नगर	39
5.7 (2) (प) बस अड्डा	39
5.7 (2) (पप) यातायात नगर	39
5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा	39
5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी	40
5.9 ग्रामीण आबादी क्षेत्र	40
<b>6. योजना का क्रियान्वयन</b>	41
6.1 वर्तमान आधार	41
6.2 प्रस्तावित आधार	41
6.3 जन-सहयोग एवं जन-सहभागिता	42
6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	42
6.5 योजना का क्रियान्वयन	43
6.6 उपसंहार	43
<b>परिशिष्ट</b>	
1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (मास्टर प्लान)	44
2. राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	46
3. नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 28/01/2011	48
4. राज्य सरकार से अनुमोदन दिनांक 02.08.11	49

## तालिका सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, मेड़ता सिटी-1951-2010	6
2	व्यावसायिक संरचना, मेड़ता सिटी-1991-2010	7
3	विद्यमान भू-उपयोग, मेड़ता सिटी-2010	8
4	कच्ची बस्तीयां, मेड़ता सिटी-2010	9
5	पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, मेड़ता सिटी-2010	10
6	शैक्षणिक संरचना, मेड़ता सिटी-2010	12
7	चिकित्सा सुविधाएं, मेड़ता सिटी-2010	12
8	जलापूर्ति, मेड़ता सिटी-2010	14
9	विद्युत आपूर्ति, मेड़ता सिटी-2010	14
10	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मेड़ता सिटी –	21
11	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, मेड़ता सिटी:- 2001-2031	22
12	योजना क्षेत्र, मेड़ता सिटी-2031	24
13	प्रस्तावित भू-उपयोग योजना, मेड़ता सिटी-2031	26
14	प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थलों का विवरण, मेड़ता सिटी-2031	28
15	प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों का विवरण, मेड़ता सिटी-2031	29
16	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मेड़ता सिटी-2031	33
17	विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, मेड़ता सिटी –	37
18	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई मेड़ता सिटी-2031	38



# 1 परिचय

मेड़ता सिटी राजस्थान के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि/व्यापारिक मण्डी का केन्द्र है। अजमेर संभाग के नागौर जिले में बसा यह नगर अजमेर, नागौर, जोधपुर, एवं ब्यावर से सड़क मार्ग द्वारा परस्पर सम्पर्कित है। मेड़ता, नागौर व अजमेर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर एवं राजधानी जयपुर से 215 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

नगर एवं आसपास के क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय, कृषि आधारित है। नगर के पश्य क्षेत्र की भूमि समतल एवं उपजाऊ है, जहां कपास उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। इस क्षेत्र में लाईमस्टोन, जिप्सम जैसे खनिजों का खनन होने से यह उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नगर है।

मेड़ता सिटी में स्वतन्त्रता के बाद प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। नगर में उपखण्ड मुख्यालय होने के साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय भी स्थापित है। यहां उपखण्ड स्तर के अनेक कार्यालय स्थित हैं, जिनमें जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं तहसील कार्यालय प्रमुख हैं। यहां पर 440 के.वी. विद्युत स्टेशन भी स्थापित है।

मेड़ता सिटी ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर मीरां बाई का मन्दिर, चतुर्भुज नाथ जी का मन्दिर, आदेश्वर नाथ जी का जिनालय, शाही जुम्मा मस्जिद आदि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं। देश की सर्वप्रथम रेल-बस सेवा मेड़ता में ही आरम्भ हुई थी, जो आज भी मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड़ (13 किलोमीटर लगभग) तक नियमित रूप से संचालित हो रही है।

नगर की जनसंख्या वर्ष 1951 में 7102 थी जो वर्ष 1991 में 31728 तथा वर्ष 2001 में बढ़कर 40252 हो गई। जनसंख्या वृद्धि से कस्बे में अनियोजित विकास एवं यातायात की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कस्बे का विकास प्रारम्भ से ही योजनाबद्ध नहीं होने के कारण ही यहां पर नगरीय विकास से सम्बन्धित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वर्तमान में यहां कस्बे व रेलवे स्टेशन के चारों ओर कृषि भूमि पर अनियोजित कॉलोनियों विस्तारित हो रही हैं। कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य बाजार में अधिक होने से आवागमन में असुविधा रहती है। मार्गों में अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं तथा ट्रक टर्मिनल एवं वाहन मरम्मत की दुकानें सुव्यवस्थित नहीं होने से यातायात सम्बन्धित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नगरवासियों को रहने के लिए व्यवस्थित एवं नियोजित आवासों की कमी है तथा सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान में मेड़ता सिटी का विस्तार पूर्व दिशा में डांगावास एवं पश्चिम दिशा में ग्राम सोगावास तक हो गया है।


उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि कस्बे के लिए एक ऐसी योजना बनायी जाए, जिसमें वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्ति युक्त रूप से भावी विकास हो सके। अतः कस्बे के लिए एक मास्टर प्लान का बनाया जाना आवश्यक है। इस मन्तव्य से ही राज्य सरकार ने मेड़ता सिटी का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(3) नवि/3/11 जयपुर, दिनांक 28.01.2011 जारी कर राजस्व ग्राम

मेड़ता सहित 3 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया है।

मास्टर प्लान बनाने के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा इस क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, जन सुविधाओं आदि से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षण किये गये। इन सर्वेक्षणों एवं आंकड़ों का विवेचन किया गया तथा मास्टर प्लान के लिए योजना सिद्धान्तों सहित नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगर की विभिन्न आवश्यकताओं का मानक स्तरों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान, स्थल निर्धारण आदि किया गया तथा इन सब अध्ययनों के आधार पर मेड़ता सिटी का मास्टर प्लान का तैयार किया गया है।

कस्बे के भावी विकास के निर्देशन हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिससे यहां के नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुखद जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसको लिए यह आवश्यक है कि नगर के नागरिकों को इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु मास्टर प्लान प्रारूप दिनांक 13.4.2011 को प्रकाशित किया गया एवं 30 दिवस की समयावधि के लिए नगर पालिका मेड़ता सिटी में आम जनता के अवलोकनार्थ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निर्धारित समयावधि में मास्टर प्लान प्रारूप पर कुल 23 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आपत्तियों/सुझावों का विस्तृत विश्लेषण एवं मौका निरीक्षण किया गया। जाँच के उपरान्त 16 आपत्ति एवं सुझावों को स्वीकृत एवं 2 को आंशिक रूप से स्वीकृत योग्य पाया गया, जबकि 5 आपत्तियां एवं सुझाव स्वीकृत योग्य नहीं पाये गये तथा 4 आपत्ति/सुझाव पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार मेड़ता सिटी मास्टर प्लान-2031 को अंतिम रूप से तैयार कर उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रावधान के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

  
(आर. एल. टुकलिया)  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
अजमेर जोन, अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(3)नवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 2.8.2011 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है (परिशिष्ट-4)

## 2

# विद्यमान विशेषताएं

### 2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु :-

मेड़ता सिटी राजस्थान राज्य के मध्य भू-भाग में मरु क्षेत्र के अन्तर्गत नागौर जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। मेड़ता सिटी 26 45<sup>३</sup> उत्तरी अक्षांश 74 05<sup>३</sup> पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। नगर की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 312.72 मीटर है। नगर का सामान्य ढलान उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की तरफ है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 215 किलोमीटर, सम्भागीय एवं जिला मुख्यालय अजमेर व नागौर से 80-80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 पर स्थित है। यह नगर नागौर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर व ब्यावर से सड़क मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। इस नगर से 13 किलोमीटर दूर मेड़ता रोड जंक्शन से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली व मुम्बई की ओर जाने के लिए शहरवासियों को रेल सेवा उपलब्ध है।

मेड़ता शहर की जलवायु शुष्क एवं मरुस्थलीय है जिसमें कम वर्षा एवं अधिक तापमान का प्रभाव रहता है। यहां की औसत वर्षा 468 मिलीमीटर है परन्तु वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। मरुस्थलीय स्थिति के अनुरूप ही यहां पर तापमान में भिन्नता पायी जाती है। मई और जून के महीने में दिन का तापमान 40 से 45 सेन्टीग्रेट एवं रात्रि का तापमान 27 से 30 सेन्टीग्रेट रहता है। जनवरी सबसे ठण्डा महीना है। इस समय दिन का अधिकतम औसत तापमान 22.5 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम औसत तापमान 6.7 सेन्टीग्रेट रहता है। कभी-कभी रात्रि में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। आद्रता का प्रतिशत 25-35 प्रतिशत के मध्य पाया जाता है। वर्षाकाल में ही आद्रता 50 से 60 प्रतिशत होती है। मई-जून में यहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिनका वेग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती हैं। शीतकाल में मुख्यतः उत्तर-पूर्व एवं ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिम से हवाएं चलती हैं।

### 2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :-

मेड़ता सिटी नागौर जिले की 'ए' श्रेणी की महत्वपूर्ण कृषि उपज मण्डी है। नगर के आस पास की भूमि समतल एवं उपजाऊ होने से कृषि उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। मेड़ता तहसील की मुख्य खरीफ फसलों में बाजरा, ज्वार, तिल, मूंग, मूंगफली व चोला आदि हैं इसी प्रकार रबी की फसलों में गेहूं, जीरा, मिर्च, कपास आदि हैं। यहां पर कृषि आधारित तेल मिलें एवं पावर लूमस तथा सीमेन्ट से निर्मित होने वाले उपकरणों के निर्माण की लघु व मध्यम इकाइयां स्थापित हुई हैं। शहर के पश्चिम दिशा में गोटन कस्बे में जिप्सम एवं सीमेंट के काफी उद्योग विकसित हुए हैं। यहां 440 के.वी. विद्युत सब स्टेशन स्थापित है।

नगर के चारों ओर तालाब हैं। मुख्य तालाबों में विष्णु सागर, राव दूदा द्वारा खुदवाया गया दूदा सागर, कुण्डल तालाब जिसमें वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है। मेड़ता के पश्चिम दिशा में देवराणी व जेठाणी तालाब, उत्तर में भूमा नाडी एवं राम तलाई तथा पूर्व में डांगोलाई तालाब है। इसके अतिरिक्त बम्ब बावड़ी, सूआ बावड़ी, महालक्ष्मी कुण्ड आदि जल स्रोत भी यहां स्थित हैं। इन्हीं तालाबों के कारण यहां का भू-जल स्तर ऊंचा रहता है जिससे कृषि उपज अच्छी मात्रा में होती है।

मेड़ता सिटी में कृषि उपज मण्डी एवं सब्जी मण्डी है जिसके फलस्वरूप आस-पास के कृषक यहां आते हैं। इस नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं तथा शहर में अनेक आधुनिक वाणिज्यिक परिसर स्थापित हो रहे हैं। नगर में अनेक मन्दिर व मस्जिद हैं जिनमें दर्शनार्थी निरन्तर आते रहते हैं और जिसके फलस्वरूप वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रहीं हैं।

उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत मेड़ता सिटी का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य काफी विस्तृत है जिसके फलस्वरूप नगर के विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं।

### 2.3 ऐतिहासिक :-

मेड़ता सिटी का वर्णन सर्वप्रथम सुबुक के अभिलेख के आधार पर वि.स. 894 का मिलता है। पंवार राजा मान्धाता ने इस शहर को प्राचीन काल में बसाया था जिससे मेड़ता का प्राचीनतम नाम मान्धातृपुर पाया जाता है। इसका नाम मान्धातृपुर के अलावा मेड़न्तक एवं मेदिनीपुर होने का भी उल्लेख मिलता है।

मेड़ता सिटी की स्थापना राव दूदा द्वारा 1488 ई.पूर्व. में की गई थी। राव दूदा, राव जोधा की चौथी सन्तान थी जो कि जोधपुर के नरेश थे। मेड़ता शहर, राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व जोधपुर स्टेट का एक भाग एवं जिला मुख्यालय था। राव दूदा जी ने अपने राज्यकाल में मेड़ता सिटी को अपनी राजधानी बनाया और इसका विस्तार करने का पूर्ण प्रयास किया। मालकोट किले के नाम से प्रसिद्ध किले का निर्माण राव दूदाजी द्वारा शुरू करवाया गया एवं वि.स. 1598 तक राव मालदेव द्वारा इस निर्माण को पूर्ण करवाया गया। बाद में इस पर मुगल सम्राट ने इस पर कब्जा कर लिया और निरन्तर 20 वर्षों तक आधिपत्य बनाये रखा। आज यह किला जर्जर अवस्था में है। दूदाजी के द्वारा निर्मित चतुर्भुज नाथ मन्दिर व पुरानी कचहरी आज भी दूदागढ के नाम से विख्यात है। दूदा सागर तालाब आज भी दूदा जी के नाम को अमर किये हुए है। इसी काल में जैन मन्दिर, महालक्ष्मीमन्दिर, शिवमन्दिर का निर्माण हुआ था।

राजनीतिक व सामाजिक उथल-पुथल के चलते मेड़ता अनेक बार उजड़ा एवं बसा है। विक्रम सं. की 15 वीं शताब्दी में मेड़ता का शासन मुगलों के आधिपत्य में चला गया इस प्रकार मेड़ता पन्द्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व का स्थान बना रहा तत्पश्चात् भी यहां कुछ युद्धों का वर्णन मिलता है।

मेड़ता सिटी धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यह शिरोमणी मीरां बाई की जन्म भूमि भी है। कालान्तर में राव जोधा जो कि अपने पुत्र राव दूदा जी के पराक्रम एवं नीतिगत, निर्णयों से प्रभावित थे ने रावदूदा को इसका स्वतंत्र भार सौंप दिया। राव दूदा मेड़ता की गद्दी पर 1495 ई. में बैठे बाद में इसके वंशजो ने मेड़ता का नाम उज्ज्वल किया। राव दूदा का ज्येष्ठ पुत्र वीरम देव उसका उत्तराधिकारी हुआ। रावदूदा की पौत्री एवं रतनसिंह की पुत्री मीरां बाई का जन्म 1504 ई (वि.स. 1561) में मेड़ता में हुआ। मीरां बाई बचपन से ही गिरधर गोपाल (श्री कृष्ण) की भक्त थीं। इनका विवाह चितौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज चितौड़ के साथ 1516 ई. (वि.स. 1573) में हुआ था। भोजराज की मृत्यु अल्पकाल में हो जाने से आहत मीरां बाई श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। मेड़ता का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर इन्ही के नाम पर है।

स्वतन्त्रता के बाद मेड़ता शहर में चहुंमुखी विकास हुआ। भारत की सर्वप्रथम रेल-बस सेवा, सन् 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता शहर तक शुरू की गई। मेड़ता शहर में अनेक शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए जिनमें से संस्कृत महाविद्यालय सबसे पुराना एवं विख्यात है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अनेक आवासीय क्षेत्र जैसे दगाड़ियों का मौहल्ला, विसगतियों का मौहल्ला, तेलियों का मौहल्ला, सरवागियों का मौहल्ला, सुनारों का मौहल्ला, नैनावत की पोल, गांधी कॉलोनी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी आदि विकसित हुई हैं।

## 2.4 जनांकिकी :-

मेड़ता सिटी की जनसंख्या वर्ष 1951 में मात्र 7,102 थी, जो वर्ष 1961 में बढ़कर 13,083 हो गई जिसका कारण स्वतन्त्रता के पश्चात् अनेक सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय एवं जिला सेशन न्यायालय की स्थापना रहा है। वर्ष 1961 से 1991 के दशक में नगर की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी। इन दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 84.22, 29.79, 30.26, 43.44 प्रतिशत रही है। वर्ष 1991 में जनसंख्या 31,728 से बढ़कर वर्ष 2001 में 40252 हो गई जिसमें 18,908 महिलाएं एवं 21,344 पुरुष थे। इस प्रकार पिछले 20 वर्षों में जनसंख्या लगभग दो गुनी हो गई। वर्तमान में उक्त नगर की जनसंख्या 63000 होने का आंकलन किया गया है। इस आंकलन में ग्राम डांगावास व सोगावास की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इस शहर का विकास इतना हो चुका है कि पूर्व दिशा में ग्राम डांगावास एवं पश्चिम दिशा में ग्राम सोगावास इसमें सम्मिलित हो गये हैं। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यहां पर स्थापित कृषि मण्डी एवं अनेक लघु उद्योग हैं। वर्ष 2001 में सोगावास की जनसंख्या 1772 एवं डांगावास की जनसंख्या 6267 रही थी जो मेड़ता नगर के समीप स्थित होने से नगरीयकृत रूप में ही है इस प्रकार तीनो अधिवासो की जनसंख्या 2001 में 48291 रही है। मेड़ता सिटी की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है :-

**तालिका संख्या-1**  
**जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, मेड़ता सिटी-1951-2010**

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि अंतर	वृद्धि दर प्रतिशत
1951	7102	—	—
1961	13083	5981	84.22
1971	16981	3898	29.79
1981	22120	5139	30.26
1991	31728	9608	43.44
2001	40252	8524	26.87
2010'	63000	22748	56.51

स्रोत:- जनगणना भारत सरकार एवं आंकलन'

नोट :- वर्ष 2010 की जनसंख्या में ग्राम डांगावास व सोगावास की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया गया है।

### 2.5 व्यावसायिक संरचना :-

सन् 1991 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार मेड़ता सिटी की कुल जनसंख्या का कार्यशील सहभागिता अनुपात क्रमशः 26.28 प्रतिशत व 28.75 प्रतिशत रहा था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार में कुल 11,574 व्यक्ति कार्यशील थे। जिनमें से कृषि कार्य में 18.5 प्रतिशत, उद्योग में 19 प्रतिशत, व्यापार व वाणिज्य में 24.5 प्रतिशत व्यक्ति शामिल थे। इस प्रकार यह नगर कृषि व उद्योग की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार ग्राम डांगावास व सोगावास सहित मेड़ता सिटी में कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में 18 प्रतिशत, व्यापारिक व वाणिज्यिक गतिविधियों में 24 प्रतिशत एवं शेष 58 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत होने का आंकलन किया गया है। तालिका संख्या 2 में वर्ष 1991 से 2010 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या-2**  
**व्यावसायिक संरचना, मेड़ता सिटी-1991-2010**

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि, खनन सहायक गतिविधियां	1783	21.39	2141	18.50	3402	18.00
2.	उद्योग	1538	18.45	2199	19.00	3780	20.00
3.	निर्माण	792	9.50	984	8.50	1512	8.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	1906	22.86	2836	24.50	4536	24.00
5.	परिवहन एवं संचार	554	6.64	810	7.00	1512	8.00
6.	अन्य सेवाएं	1764	21.16	2604	22.50	4158	22.00
<b>योग</b>		<b>8337</b>	<b>100.00</b>	<b>11574</b>	<b>100.00</b>	<b>18900</b>	<b>100.00</b>
<b>सहभागिता अनुपात</b>		<b>26.28</b>		<b>28.75</b>		<b>30.00</b>	
<b>जनसंख्या</b>		<b>31728</b>		<b>40252</b>		<b>63000</b>	

स्रोत:- जनगणना भारत सरकार एवं आंकलन

### 2.6 विद्यमान भू-उपयोग :-

वर्तमान में मेड़ता सिटी का विकास इतना हो चुका है कि पूर्व दिशा में ग्राम डांगावास एवं पश्चिम दिशा में ग्राम सोगावास भी इसमें शामिल हो चुके हैं। मेड़ता सिटी एवं सम्मिलित क्षेत्र में आधार वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 2040 एकड़ भूमि है। इसमें से 1610 एकड़ भूमि विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जो नगरीयकृत क्षेत्र का लगभग 78.92 प्रतिशत है। उक्त में से 552 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत स्थित है जो विकसित क्षेत्र का 34.29 प्रतिशत है।

आवासीय के पश्चात् वाणिज्यिक के अन्तर्गत कुल 77 एकड़ भूमि, औद्योगिक में 75 एकड़, राज्य व अर्द्धराजकीय 35 एकड़, आमोद-प्रमोद 106 एकड़ तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत कुल 310 एकड़ भूमि आती है। परिसंचरण में 455 एकड़ भूमि है। तालिका संख्या-3 में वर्ष 2010 में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत स्थित भूमि को दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या – 3**  
**विद्यमान भू-उपयोग, मेड़ता सिटी – 2010**

क्र.सं	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	552	34.29	27.06
2.	वाणिज्यिक	77	4.78	3.77
3.	औद्योगिक	75	4.66	3.68
4.	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय	35	2.17	1.72
5.	आमोद-प्रमोद	106	6.58	5.20
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	310	19.26	15.19
7.	परिसंचरण	455	28.26	22.30
<b>कुल विकसित क्षेत्र</b>		<b>1610</b>	<b>100.00</b>	<b>78.92</b>
8.	जलाशय	60	---	2.94
9.	कृषि एवं रिक्त भूमि	370	---	18.14
<b>कुल क्षेत्र</b>		<b>2040</b>	<b>---</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आंकलन।

### 2.6 (1) आवासीय :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मेड़ता सिटी की कुल जनसंख्या 31,728 थी जो बढ़कर 2001 में 40,252 एवं 2010 में सोगावास व डांगावास को मिलाकर लगभग 63,000 होने का आंकलन किया गया है। नगर का आवासीय घनत्व औसतन 114 व्यक्ति प्रति एकड़ है जबकि नगर के मध्य भाग में यह घनत्व इससे भी अधिक है। वर्तमान में कुल 1610 एकड़ समग्र विकसित क्षेत्र के भू-भाग में से 552 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का 34.29 प्रतिशत है। वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र के आधार पर इस नगर का घनत्व लगभग 31 व्यक्ति प्रति एकड़ है, तथा विकसित क्षेत्र के आधार पर यह घनत्व लगभग 39 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

### 2.6 (1) (अ) आवासन :-

मेड़ता सिटी नगरपालिका क्षेत्र को 30 वार्डों में विभाजित किया गया है। नगर की प्रमुख आबादी पुराने नगर में निवास करती है। सडकें टेढ़ी-मेढ़ी एवं कम चौड़ाई की हैं। कहीं कहीं पर तो इनकी चौड़ाई 5 से 10 फीट तक ही है। मेड़ता सिटी की पुरानी बस्ती में अधिकांश भवन पक्के बने हुए हैं, जो दो मंजिला तक के हैं। बाजार व इसके आस-पास के मकान एक अथवा दो मंजिला हैं। नगर की आवास की दृष्टि से अधिक घनत्व वाले वार्ड 7,8,9,10,12,17,18,22,23,24 एवं 25 हैं, जहां का आवासीय घनत्व 150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक है। यह नगर का पुराना बसा हुआ क्षेत्र है तथा यहीं पर मुख्य बाजार भी स्थित हैं। मध्यम घनत्व वाले वार्ड 11,15,16,26,27,28 एवं 29 हैं, यहां घनत्व 100-150 व्यक्ति प्रति एकड़ है, जिसमें 440 के.वी.एवं आई.टी.आई का क्षेत्र, पी.डब्ल्यू.डी का क्षेत्र, कृषि उपज मण्डी का क्षेत्र एवं अजमेर से नागौर



को जाने वाले बाईपास का क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। बाहर के वार्डों वाले क्षेत्र की आबादी 50 व्यक्ति से भी कम है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि खाली है। इन वार्डों के अलावा मेड़ता सिटी के नगरीय क्षेत्र में ग्राम सोगावास एवं ग्राम डांगावास का आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित हो चुका है जहां की आबादी 100 से 150 व्यक्ति प्रति एकड़ है इस प्रकार मेड़ता सिटी में आवासीय क्षेत्रों की बनावट व बसावट में काफी भिन्नता है।

## 2.6 (1) (ब) कच्ची बस्तियां :-

मेड़ता सिटी में कुल 10 कच्ची बस्तियां हैं। इन कच्ची बस्तियों में पक्की सड़कें, नालियाँ व रोशनी की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश कच्ची बस्तियां सरकारी भूमि पर विस्तारित हुई हैं। नगर पालिका द्वारा नियमित कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी के अनुसार नगर के विभिन्न भागों में 10 कच्ची बस्तियां स्थित हैं। जिनको तालिका संख्या-4 में वर्णित किया गया है।

### तालिका संख्या-4 कच्ची बस्तियां, मेड़ता सिटी – 2010

क्र.सं	कच्ची बस्तियां
1.	मूथानाडी
2	बागावास
3	हरीजन बस्ती हाडीपुरा
4	नायकों की बस्ती
5	जवाड़िया लुहारपुरा
6	नवल सागर
7	हिम्मत नगर
8	डांगोलाई अजमेर गेट
9	कूण्डल की पाल
10	नायकों की ढाणी

स्रोत: नगरपालिका मेड़ता सिटी।

## 2.6 (2) वाणिज्यिक :-

मेड़ता सिटी, नागौर जिले का प्रमुख उपखण्ड मुख्यालय एवं कृषि उपज मण्डी होने के कारण एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। यहां पर मुख्य रूप से कृषि जिनसों का व्यापार होता है। पिछले दशकों में व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में इस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 1906 से बढ़कर वर्ष 2001 में 2836 हो गई थी। यहां का वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र पुराने शहर में स्थित मुख्य बाजार, नैना बाजार, मानक चौक, मीरां बाजार एवं रेलवे स्टेशन के आस-पास का क्षेत्र है। यहां पर मुख्यतः कपड़ा, किराना, जनरल स्टोर, स्टेशनरी, मोटर पार्ट्स, कृषि आधारित उपकरण, लोहा आदि का प्रमुख व्यवसाय है। यहां 'ए' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड को जाने वाली सड़क पर स्थित है। उक्त क्षेत्र की मुख्य उपज सोयाबीन, गेहूँ, चना, सरसों, इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन क्षेत्र में मोटर

पार्ट्स, रेस्टोरेन्ट, किराना, कृषि उपकरण, रिपेयर दुकानों आदि पर वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं।

### 2.6 (3) औद्योगिक :-

वर्तमान में मेड़ता सिटी में 75 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का लगभग 4.66 प्रतिशत है। मेड़ता सिटी के आस-पास का क्षेत्र कृषि उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। शहर के प्राइवेट बस स्टैण्ड के पीछे कुछ पुरानी मिलें तथा कुछ नई इकाइयां मेड़ता रोड पर कृषि मण्डी के आगे स्थापित हैं। यहां रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। मेड़ता सिटी में गृह उद्योग, आटा चक्की, रिपेयर शॉप, कृषि आधारित यंत्र/उपकरण, रिपेयर शॉप, बीड़ी इत्यादि प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। वर्तमान में कुल 99 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें 3180 श्रमिक सेवारत हैं। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त करवायी गई जानकारी के अनुसार इस नगर में 99 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जिसे तालिका संख्या 5 में वर्णित किया गया है।

**तालिका संख्या – 5**  
**पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, मेड़तासिटी-2010**

क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	कृषि आधारित	23	203
2	वन उपज आधारित	3	8
3	पशु धन आधारित	60	102
4	खनिज आधारित	6	27
5	अभियांत्रिकी आधारित	3	10
6	वस्त्र उद्योग आधारित	1	2
7	रसायन आधारित	3	28
<b>योग</b>		<b>99</b>	<b>380</b>

स्रोत:- जिला उद्योग केन्द्र, नागौर

### 2.6 (4) राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय :-

मेड़ता सिटी, में उपखण्ड, तहसील मुख्यालय, के जिला एवं सत्र न्यायालय, राजकीय एवं अन्य क्रियाकलापों के होने से नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार मेड़ता सिटी में 22 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय हैं, जिनमें लगभग 1467 कर्मचारी नियोजित हैं। जिनमें उपखण्ड अधिकारी, तहसील, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर पालिका, पंचायत समिति, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डाकघर, सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बड़ौदा बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, कृषि उपज मण्डी आदि कार्यालय हैं। अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में चल रहे हैं। सभी कार्यालय नगर के विभिन्न स्थानों पर संचालित

हैं। वर्तमान में इनके उपयोग में लगभग 35 एकड़ भूमि आ रही है जो कि विकसित क्षेत्र का 2.17 प्रतिशत है।

### **2.6 (5) आमोद-प्रमोद :-**

वर्तमान में मेड़ता सिटी में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत कुल 106 एकड़ भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.58 प्रतिशत है। यहां पर आमोद-प्रमोद सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। वर्तमान में मेड़ता से अजमेर को आने वाली सड़क पर पब्लिक पार्क के नाम से एक उद्यान है। इसके अलावा दो और उद्यान हैं जो कि विकसित नहीं हैं। मेड़ता सिटी के उत्तर दिशा में नागौर रोड पर पशु मेला मैदान स्थित है। वर्तमान में यहां मेला मैदान की तारबंदी है। परंतु इस मेला मैदान में आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। यहां पर विकास के साथ साथ उद्यानों एवं खुले स्थलों के विकास की आवश्यकता है। वर्तमान में नगर में स्टेडियम नहीं है।

### **2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक :-**

मेड़ता सिटी में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 310 एकड़ भूमि आती है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 19.26 प्रतिशत है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित हैं।

### **2.6 (6) (अ) शैक्षणिक :-**

मेड़ता सिटी के विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान में 23 प्राथमिक, 24 उच्च प्राथमिक एवं 15 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। गोटेन रोड पर एक राजकीय महाविद्यालय स्थित है। इसके अलावा यहां पर निजी क्षेत्र में दो महाविद्यालय, चार बी0एड0कॉलेज, 2 पॉलिटेक्नीक कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज एवं एक आई0टी0आई0 संचालित हैं। यहां पर सरकारी क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 भी संचालित है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान ज्यादातर किराये के भवन में चल रहे हैं। अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। नगर की शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 6 में दर्शाया गया है :-

**तालिका संख्या – 6**  
**शैक्षणिक संरचना, मेड़ता सिटी-2010**

क्र. स.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	6-10	3316	2984	89.98	23	130
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	4172	3575	85.69	24	149
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	5140	8063	156.87	15	538
<b>योग</b>			<b>12628</b>	<b>14622</b>	<b>115.79</b>	<b>62</b>	<b>236</b>

स्रोत- विभागीय सर्वेक्षण एवं शिक्षा विभाग

**2.6 (6) (ब) चिकित्सा :-**

मेड़ता सिटी में 40 शय्या का एक राजकीय चिकित्सालय है। यह चिकित्सालय मेड़ता सिटी से नागौर को जाने वाली सड़क एवं मेला मैदान के पास स्थित है। कस्बे में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। निजी क्षेत्र में तीन चिकित्सालय सेवारत हैं। नागौर रोड पर एक पशु चिकित्सालय भी स्थित है। मेड़ता सिटी नागौर जिले का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है और आस-पास की आबादी, चिकित्सा के लिए इस कस्बे पर ही निर्भर है अतः इस नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नगर की चिकित्सा सुविधाओं को तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या – 7**  
**चिकित्सा सुविधाएं, मेड़ता सिटी-2010**

क्र. सं.	चिकित्सालय	संख्या	डॉक्टर	कार्यालय स्टाफ	शय्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1	11	29	40
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	2	7	—
3.	निजी चिकित्सालय	7	7	33	69
<b>योग</b>		<b>9</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>109</b>

स्रोत-सर्वेक्षण एवं चिकित्सा विभाग।

## 2.6 (6) (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल :-

मेड़ता सिटी में अनेक धार्मिक स्थल हैं। यहां हिन्दु संस्कृति के साथ जैन व इस्लाम संस्कृति भी फली-फूली है। पुराने शहर के मध्य चारभुजा नाथ मन्दिर, मीरां स्मारक, शाही जामा मस्जिद एवं जैन मन्दिर हैं। शहर के उत्तर दिशा में मीरां महल एवं दादू पंथी किसन दासजी की छतरी स्थित है। मेड़ता के पास के क्षेत्रों में बड़वासन माता व जीवण माता, दुर्गामाता, लक्ष्मीजी आदि के मन्दिर हैं। मेड़ता शहर के चारों ओर तालाब हैं जिन पर अनेकों मन्दिर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह शहर धार्मिक भावना से ओत-प्रोत है।

## 2.6 (6) (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं :-

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अर्न्तगत दूरदर्शन, अग्निशमन केन्द्र, क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, धर्मशालाएं, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, नर्सिंग होम आदि सम्मिलित किये जाते हैं। मेड़ता सिटी में रेलवे स्टेशन के सामने व हिन्दु धर्मशाला के पीछे दूरभाष केन्द्र संचालित है। यहां पर एक सार्वजनिक विभाग का विश्राम गृह, 2 धर्मशालाएं, 6 छोटे होटल संचालित हैं। मनोरंजन के लिए वर्तमान में कोई साधन उपलब्ध नहीं है विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित सामुदायिक भवन/नौहरे/समाज के स्थल हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का प्रायः अभाव है।

## 2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएं :-

पीने योग्य जल की आपूर्ति, बिजली एवं प्रकाश की व्यवस्था तथा जल-मल निस्तारण की सुविधा नगर के लोगों की मूल-भूत आवश्यकताएं हैं। इन सुविधाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

## 2.6 (6) (य) (i) जलापूर्ति :-

मेड़ता सिटी में पेयजल आपूर्ति जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा की जाती है। शहर में जलापूर्ति ग्राम लाम्बा, जाटान एवं ग्राम आकेली 'अ' के 14 नलकूपों द्वारा की जाती है। मेड़ता शहर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। शहर में जल वितरण के लिए 10 लघु क्षमता के ओवरहैड टैंक हैं। नगर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर की जलापूर्ति की जाती है। वर्ष 2010 में जलापूर्ति कनेक्शनों की संख्या को तालिका संख्या 8 में दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या – 8**  
**जलापूर्ति, मेड़ता सिटी-2010**

क्र.सं.	उपभोग की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1.	आवासीय	6505	92.93
2.	व्यावसायिक	298	4.26
3.	राजकीय	135	1.92
4.	औद्योगिक	62	0.89
<b>योग</b>		<b>7000</b>	<b>100.00</b>

स्रोत- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेड़ता सिटी।

**2.6 (6) (य) (ii) विद्युत आपूर्ति :-**

मेड़ता सिटी में विद्युत आपूर्ति अजमेर से मेड़ता सिटी को आने वाली सड़क पर स्थित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से होती है। यहां पर विद्युत आपूर्ति नागौर रोड पर स्थित 440 के.वी. से 132 के.वी. सब स्टेशन से होती है अतः ग्रिड सब स्टेशन समुचित विद्युत वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत तंत्र का रख रखाव व वितरण किया जाता है। इस नगर की वर्ष 2010 के विद्युत आपूर्ति एवं वितरण को तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है :-

**तालिका संख्या – 9**  
**विद्युत आपूर्ति, मेड़ता सिटी-2010**

क्र.सं.	उपभोग की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1.	आवासीय	5965
2.	व्यावसायिक	1593
3.	औद्योगिक	248
4.	कृषि	83
5.	सड़क विद्युतिकरण	38
6.	जलप्रदाय	7
7.	मिश्रित लोड	22
<b>योग</b>		<b>7956</b>

स्रोत- अजमेर विद्युत वितरण निगम, मेड़ता सिटी।

## 2.6 (6) (य) (iii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

मेड़ता सिटी में जल-मल निकास की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी की निकासी के लिए भी नालों का उचित प्रावधान नहीं है, जिसके कारण वर्षा के मौसम में पानी सड़कों व गलियों में एकत्रित हो जाता है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। घरों में मल निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, परन्तु कच्ची बस्तियों में इनकी व्यवस्था नहीं है और लोग खुले में शौच जाते हैं। घर-घर कचरा एकत्रित करने का दायित्व व्यक्तिगतरूप से लोगों पर ही है। नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उन्हें गलियों से इकट्ठा करते हैं। मुख्य बाजारों में भी कचरा एकत्रित किया जाता है।

ठोस कचरा प्रबन्धन नगरपालिका द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ठोस कचरे के निस्तारण हेतु नगर से दूर उचित स्थल चिन्हित नहीं है, जिसके अभाव में नगर पालिका द्वारा खुले स्थलों पर ठोस कचरे का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से कर दिया जाता है।

## 2.6 (6) (य) (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

मेड़ता सिटी में श्मशान व कब्रिस्तान तालाबों के समीप चारों ओर फैले हुए हैं। यहां पर हर जाति ने अपने लिए एक अलग श्मशान बना रखा है। यहां पर लगभग 79 एकड़ भूमि श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु उपयोग में ली जा रही है।

## 2.6 (7) परिसंचरण :-

मेड़ता शहर के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहां यातायात साधनों के सुगमता की आवश्यकता है। यह शहर रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है।

## 2.6 (7) (अ) यातायात व्यवस्था :-

मेड़ता सिटी संभाग मुख्यालय अजमेर, जिला मुख्यालय नागौर, जोधपुर, जैतारण, गोटन से सड़क मार्ग से भलीभांति जुड़ा हुआ है। अजमेर से नागौर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-89) इस शहर में से होकर गुजरता है। यातायात का अत्याधिक दबाव रहने के कारण वर्तमान में ग्राम डांगावास के पूर्व दिशा से बाईपास निर्मित किया गया है। जैतारण से मेड़ता रोड को जाने वाला राज्य राजमार्ग (एसएच-39), एसएच-21 तथा एमडीआर-58 एवं 21 भी इस शहर से गुजरते एवं प्रस्तावित हैं। मुख्य सड़कें का शहर के मध्य होने एवं इनके सहारे-सहारे विकास हो जाने से भारी यातायात का दबाव रहता है। मेड़ता रोड को जाने वाली सड़क के सहारे रेलवे लाइन भी स्थापित है जो शहर के मध्य स्थित है और जिसके कारण शहर 2 भाग में बंटा हुआ है। इन्हीं कारणों से यातायात सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस के मद्देनजर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नगर के दक्षिणी भाग में शहर से दूर एक बाह्य मार्ग का एलाइनमेन्ट निर्धारित किया है।

पुराने शहर में गलियां बहुत संकरी व टेढ़ी-मेढ़ी हैं, जिसके कारण यातायात अवरुद्ध होता रहता है। नगर में निश्चित चौड़ाई की सड़क व्यवस्था का अभाव है। प्रमुख बाजार कस्बे के अन्दर हैं, जिससे कस्बे के अन्दर यातायात का भारी दबाव रहता है। इन्हीं गलियों में दुकानें भी हैं जिनके लिए कोई भी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

बस स्टैण्ड के आस-पास वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़े रहते हैं। नगर के मध्य मुख्य मार्ग होने के कारण इन सड़कों पर यातायात अवरुद्धता एक विकट समस्या है। वर्तमान सब्जी मण्डी के पास सड़क के किनारे ठेले खड़े रहने से यातायात की समस्या बनी रहती है।

## 2.6 (7) (ब) बस व ट्रक टर्मिनल :-

वर्तमान में नागौर रोड पर बसस्टैण्ड स्थित है परन्तु यहां से इस मार्ग पर चलने वाली बसें संचालित नहीं होती हैं। प्राइवेट बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-89 पर अत्याधिक भीड़ वाले क्षेत्र में है जहां से प्राइवेट एवं रोडवेज बसों का संचालन होता है। नगर में ट्रकों के लिए कोई नियोजित टर्मिनल/ट्रक स्टैण्ड निर्धारित नहीं होने से भारी वाहन सड़को के सहारे इधर-उधर ही खड़े रहते हैं। जिससे यहां पर यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। नगरपालिका, मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र एवं जोधपुर व जैतारण जाने वाली सड़क क्षेत्र में भी ट्रक टर्मिनल की आवश्यकता है। वर्तमान में निजी वाहन रेलवे स्टेशन व प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास एवं नागौर सड़क के आस-पास ही खड़े रहते हैं। आई. डी. एस. एम. टी. योजना के अन्तर्गत ट्रक टर्मिनल बनवाया जाना भी निर्णित है।

## 2.6 (7) (स) रेल एवं हवाई सेवा :-

यहां से 13 किमी दूर मेड़ता रोड जंक्शन पर रेलवे स्टेशन है, वहीं से यात्रियों को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली व मुम्बई की ओर जाने वाली गाड़ियां मिलती हैं। मेड़ता सिटी व मेड़ता रोड के मध्य रेल-बस सेवा संचालित है जिसका उपयोग स्थानीय निवासी सामान्य रूप से करते हैं।

मेड़ता सिटी में कोई हवाई पट्टी नहीं है। ग्राम डांगावास के पास एक हेलीपेड स्थल है जिसका उपयोग विशिष्टजन ही करते हैं।



## नियोजन की संकल्पना

नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा की वजह से कस्बे का विकास संघटित (कॉम्पेक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराए रूप में बसने लग गई है। छोटे कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकें। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है, और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में विचारकर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को, अपने अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों को एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन-आकांक्षा हो सकती है अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित कर उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मेड़ता सिटी नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई हैं

### 3.1 नियोजन की नीतियां :-

अनुमान है कि आगामी दशकों में मेड़ता सिटी उपखण्ड मुख्यालय अपने पश्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप यह नगर व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन, खनन, उद्योग तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

### 3.2 नियोजन के सिद्धान्त :-

मास्टर प्लान बनाने के लिए वर्तमान विशेषताओं एवं उक्त नीतियों के अध्ययन पर आधारित नियोजन के सिद्धान्त बनाये गये हैं :-

1. मेड़ता सिटी में स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल संभावना है अतः समुचित एकीकृत विकास करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नगर पालिका सीमा से बाहर के समीपस्थ राजस्व ग्राम डांगावास व सोगावास के विद्यमान विकास, नगर पालिका व राजस्व प्रशासन की स्वीकृतियों को यथावत् रखते हुए रिक्त भूमि में नियोजन के मानदण्ड व आवश्यकताओं के दृष्टिगत भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाएं।
3. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित सामंजस्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक समन्वय स्थापित रहे। मेड़ता सिटी के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए साथ ही नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्यकेन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।
4. वर्तमान में शहर का विकास इतना हो चुका है कि नगर के पूर्व में ग्राम डांगावास एवं पश्चिम में ग्राम सोगावास को सम्मिलित कर लिया है परन्तु इन ग्रामों का विकास शहर की भांति नहीं हो पा रहा है अतः इन ग्रामों का नियोजित विकास शहर के रूप में किया जाना चाहिए।
5. मेड़ता सिटी के पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए। वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों की ओर प्रतिदिन आवगमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थितियों को विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी। अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हों।
6. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान संधारित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक

व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।

7. नगर के पश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के आधार पर नियोजित रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि हो। औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दिशा के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस-पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें।
8. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए। सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास शहर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए। नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासंभव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
9. मेड़ता सिटी एक धार्मिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण मन्दिर तक सुगम पहुंच एवं मेला स्थल के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए।
10. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य व उपमार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाएं। कस्बे से निकलने वाले मार्गों को जोड़ने हेतु एक सुगम एवं सीधा संपर्क मार्ग का प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे विकास को भी सीमाबद्ध किया जा सके एवं दुर्घटना की संभावना से भी बचा जा सके। कस्बे में सड़क जंक्शन पर चौराहे का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
11. पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकड़ी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नये एवं पुर्ननिर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग व न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से प्रस्तावित बाह्य सड़कों के सहारे-सहारे 50-50 फीट चौड़ी पौधारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जाना चाहिए। योजनाओं में स्थित उद्यानों के विकास एवं पौधारोपण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
12. कस्बे में चारों ओर तालाब स्थित हैं। इन भू-भाग में पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी नगरीय भू-उपयोग हेतु भूमि रूपान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। इस

- क्षेत्र का सीमांकन कर केवल खुले एवं पौधारोपण क्षेत्र के रूप में भूमि रखनी चाहिए जिससे जल स्तर को निरन्तरित रखा जा सके।
13. राजकीय और अर्द्ध-राजकीय कार्यालय, संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
  14. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढांचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
  15. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्यक्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
  16. शहर में समुचित सीवरेज एवं जल-मल निस्तारण तथा ठोस कचरा प्रबन्धन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए यथोचित प्रावधान किया जाना चाहिए।

## 4 भावी आकार

### 4.1 जनांकिकी :-

मेड़ता सिटी के पिछले 50 वर्षों में (वर्ष 1951 से 2001 तक) जनसंख्या 7102 से बढ़कर लगभग 6 गुना 40252 हो गई। मेड़ता सिटी में वर्ष 1951-61 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 84.22 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 1991 से 2001 तक के दशक में मेड़ता सिटी की जनसंख्या वृद्धि 26.87 प्रतिशत दर्ज की गई है। मेड़ता सिटी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सोगावास एवं डांगावास राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। ये राजस्व ग्राम मेड़ता सिटी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्तमान में मेड़ता सिटी की आबादी क्षेत्र इन राजस्व ग्रामों (सोगावास एवं डांगावास) की आबादी क्षेत्र तक जुड़ने के कारण इन ग्रामों की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। अतः मेड़ता सिटी की सोगावास एवं डांगावास सहित जनसंख्या 2001 में 48,291 आंकलित की गई है। ऐसा अनुमान है, कि वर्ष 2010 में इस सम्मिलित क्षेत्र की जनसंख्या 63,000 व 2021 में 85,000 एवं 2031 में 1,15,000 हो जाने का अनुमान है। आगामी वर्षों में मेड़ता सिटी के धार्मिक, प्राशासनिक एवं वाणिज्यिक विकास का मुख्य केन्द्र होने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि का आंकलन करते समय प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास, सरकार की विकास योजना व कृषि विपणन आदि से नगर की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों की संभावनाओं का पूर्ण ध्यान रखा गया है। मेड़ता सिटी की वर्ष 1951 से 2031 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को तालिका संख्या 10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-10  
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मेड़ता सिटी 1951-2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर	वृद्धि दर प्रतिशत
1951	7102	—	—
1961	13083	5981	84.22
1971	16981	3898	29.79
1981	22120	5139	30.26
1991	31728	9608	43.44
2001	40252	8524	26.87
2010'	63000	22748	56.51
2021'	85000	22000	34.92
2031'	115000	30000	35.29

स्रोत :- जनगणना, भारत सरकार एवं विभागीय अनुमान'

## 4.2 व्यावसायिक संरचना :-

मेड़ता सिटी की प्रस्तावित संरचना विगत प्रवृत्तियों, प्रशासनिक एवं जनांकिकी विशेषताओं व सीमित आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विकास की सम्भावनाओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2001 में मेड़ता सिटी में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 28.75 प्रतिशत था। यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2031 में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात लगभग 32 प्रतिशत होगा एवं कुल काम करने वालों की अनुमानित संख्या 36800 होगी। क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित व्यावसायिक संरचना में यह परिकल्पना की गई है कि नगर में व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों की तीव्र गति से वृद्धि होगी जिससे उद्योगों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 21 प्रतिशत भाग हो जाएगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि नगर के विकास के साथ निर्माण, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी अतः निर्माण में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 8 प्रतिशत एवं व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 25 प्रतिशत होगा। वर्ष 2031 की अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या 11 में दर्शाया गया है।

### तालिका संख्या – 11

#### अनुमानित व्यावसायिक संरचना, मेड़ता सिटी –2001–2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010'		2031'	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	2141	18.50	3402	18.00	5520	15.00
2.	उद्योग	2199	19.00	3780	20.00	7728	21.00
3.	निर्माण	984	8.50	1512	8.00	2944	8.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	2836	24.50	4536	24.00	9200	25.00
5.	यातायात एवं संचार	810	7.00	1512	8.00	3312	9.00
6.	अन्य सेवाएं	2604	22.50	4158	22.00	8096	22.00
<b>योग</b>		<b>11574</b>	<b>100.00</b>	<b>18900</b>	<b>100.00</b>	<b>36800</b>	<b>100.00</b>
<b>सहभागिता अनुपात</b>			<b>28.75</b>		<b>30.00</b>		<b>32.00</b>
<b>जनसंख्या</b>			<b>40252</b>		<b>63000</b>		<b>115000</b>

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं विभागीय अनुमान

## 4.3 नगरीय क्षेत्र :-

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 10(.....) नविवि/03/11 जयपुर दिनांक 28 जनवरी, 2011 द्वारा मेड़तासिटी नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने हेतु मेड़ता सहित 3 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 26,620 एकड़ है। नगरीय क्षेत्र में मेड़ता, सोगावास, डांगावास ग्राम सम्मिलित किये गये हैं।

#### 4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :-

मेड़ता सिटी की ग्राम सोगावास एवं डांगावास को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या वर्ष 2001 में 48,291 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक 1,15,000 हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2010 में इस नगर की सम्मिलित जनसंख्या लगभग 63,000 अनुमानित की गई है। इस प्रकार योजना अवधि (2010 से 2031) के दौरान नगर की कुल जनसंख्या वृद्धि लगभग 52,000 होने का अनुमान है। नगर में इस बढ़ी हुई आबादी के लिए आवास, कार्यक्षेत्र, मनोरंजन व अन्य कार्यों हेतु अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया जाना है। विकास के वांछित मापदण्डों को ध्यान में रखकर नगर की कुल अनुमानित 1,15,000 की आबादी के लिए विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में लगभग 6039 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्तमान भौतिक विशेषता व विकास प्रवृत्तियां बताती हैं कि नगरीय विस्तार अधिकतर उत्तर में नागौर रोड पर एवं दक्षिण में जैतारण एवं जोधपुर रोड की ओर हो रहा है। यहां पर यह उल्लेखित है कि वर्तमान में मेड़ता सिटी में छितराए रूप में विस्तार हो रहा है। इन दिशाओं में समतल भूमि उपलब्ध है। योजना में केवल ऐसी कृषि भूमि का उपयोग किया गया है, जो नगर के निकट है तथा उस पर उप नगरीय विकास का दबाव भी है।

#### 4.5 योजना क्षेत्र :-

विद्यमान विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियों के लिये भूमि उपयोगों, प्राकृतिक अवरोधों एवं विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक सम्बन्धों को दृष्टिगत रखकर मेड़ता सिटी के नगरीय क्षेत्र को 5 योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिनमें से 4 नगरीय विकास के एवं एक परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में है। प्रथम चार योजना क्षेत्रों में से प्रत्येक योजना क्षेत्र आवास, व्यवसाय आमोद-प्रमोद एवं अन्य सुविधाओं में आत्म निर्भर होगा। विस्तृत योजना के लिए योजना क्षेत्र को सेक्टर प्लान के माध्यम से विभाजित कर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। 5 योजना क्षेत्र एवं उनका क्षेत्रफल तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है :-

**तालिका संख्या-12**  
**योजना क्षेत्र, मेड़ता सिटी-2031**

क्रम सं०	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	पुराना शहर योजना क्षेत्र	944	40000
ब.	औद्योगिक योजना क्षेत्र	1300	15000
स.	सोगावास योजना क्षेत्र	1905	30000
द.	डांगावास योजना क्षेत्र	1890	30000
	<b>नगरीयकरण योग्य कुल क्षेत्र</b>	<b>6039</b>	<b>115000</b>
य.	परिधि नियंत्रण पट्टी	20581	—
	<b>अधिसूचित नगरीय क्षेत्र</b>	<b>26620</b>	—

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमा को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर अलग से दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व ग्रामों की सीमाएं, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र एवं वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाएं भी दर्शित हैं। प्रथम चार योजना क्षेत्र, कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र दर्शाते हैं, जबकि अन्तिम योजना क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी को इंगित करता है।

**(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र :-**

पुराना शहर योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 944 एकड़ है। यह योजना क्षेत्र पूर्व में चूंदीया सड़क, उत्तर में अजमेर-नागौर सड़क एवं रेलवे स्टेशन, पश्चिम में गौटन एवं लाम्बिया सड़क तथा दक्षिण में प्रस्तावित संपर्क सड़क एवं नगरपालिका सीमा से लगभग 1/2 कि.मी. के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में मेड़ता सिटी की पुरानी आबादी, चारभुजा मन्दिर, मीरां स्मारक, जामा मस्जिद, मालकोट किला जैसे प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल/किला तथा सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन आदि स्थित हैं। शहर का अधिकतर डूब क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में ही स्थित है। यह क्षेत्र आवासीय, व्यावसायिक एवं सरकारी व अर्द्ध-सरकारी, चिकित्सालय आदि में आत्मनिर्भर है। इस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थान, जनोपयोगी सुविधाएं, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।

**(ब) औद्योगिक योजना क्षेत्र :-**

औद्योगिक योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 1300 एकड़ है। यह योजना क्षेत्र पूर्व में लाम्बिया सड़क, उत्तर में मेड़ता रोड़ सड़क, पश्चिम में प्रस्तावित बाह्य मार्ग/संपर्क सड़क तथा दक्षिण में प्रस्तावित बाह्य मार्ग/संपर्क सड़क के मध्य स्थित है। जिसमें गौटन सड़क एवं जोधपुर सड़क प्रमुख है। इस क्षेत्र में महाविद्यालय, जेल, कृषि उपज मण्डी, गोदाम, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां, यातायात नगर इत्यादि प्रमुख गतिविधियां स्थित हैं। इसी क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र, थोक व्यापार, कृषि उपज मण्डी एवं यातायात नगर का विस्तार, जनोपयोगी सुविधाएं, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।



### (स) सोगावास योजना क्षेत्र :-

सोगावास योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 1905 एकड़ है। यह योजना क्षेत्र पूर्व में मोररा सड़क, उत्तर में प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र, पश्चिम में प्रस्तावित बाह्य मार्ग/संपर्क सड़क तथा दक्षिण में मेड़ता रोड़ सड़क एवं अजमेर सड़क के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र में 400 के.वी. की विद्युत इकाई, राजकीय चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, मेला ग्राउण्ड, आई०टी०आई०, पुलिस थाना, दूदा सागर (तालाब) एवं ग्राम सोगावास की आबादी क्षेत्र स्थित हैं। वर्तमान में अधिकांशतः भूमि, कृषि भूमि के रूप में है। इस क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं के नये स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस क्षेत्र के प्रस्तावित नये स्थलों में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र, चिकित्सालय का विस्तार, पशु चिकित्सालय का विस्तार, मेला ग्राउण्ड का विस्तार एवं आवासीय क्षेत्र शामिल हैं।

### (द) डांगावास योजना क्षेत्र :-

डांगावास योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 1890 एकड़ है। यह योजना क्षेत्र पश्चिम में मोररा सड़क एवं चूंदीया सड़क, पूर्व में प्रस्तावित बाईपास, दक्षिण में प्रस्तावित बाह्य मार्ग/संपर्क सड़क एवं उत्तर में प्रस्तावित बाह्य मार्ग/संपर्क सड़क तथा प्रस्तावित नगरीयकरण सीमा के मध्य स्थित है। जिसमें अजमेर सड़क एवं बाईपास सड़क स्थित है। इस क्षेत्र में कुछ भू-भाग डूब क्षेत्र में आता है अतः इस क्षेत्र में डीयर पार्क/पौधारोपण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, न्यायालय, ग्राम डांगावास का आबादी क्षेत्र, दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, धार्मिक स्थल, 133 के.वी. अजमेर विद्युत निगम की ईकाई इत्यादि प्रमुख संस्थान/कार्यालय स्थित हैं। इस क्षेत्र में नये स्थल भी प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें स्टेडियम, बस स्टैण्ड, महाविद्यालय, व्यावसायिक संस्थान, चिकित्सालय, जनोपयोगी सुविधाएं, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्य सामुदायिक सुविधाएं एवं आवासीय क्षेत्र आदि हैं।

### (य) परिधि नियंत्रण पट्टी :-

परिधि नियंत्रण पट्टी में वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य सीमा एवं नगर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य आने वाला संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। परिधि नियंत्रण पट्टी का उद्देश्य नगर की परिधि में व सड़कों के सहारे-सहारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां ही इस क्षेत्र में स्वीकृति योग्य होंगी। इस योजना क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राजमार्ग सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी का विस्तार, गौशाला, दुग्धशाला, मोटेल, कुक्कट शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, ईट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे।

## 5

# भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की वर्तमान विशेषताओं तथा विद्यमान एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है अतः इसका उपयोग जहा तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। मेड़ता सिटी नगरीय क्षेत्र की भू उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे कि समस्त नगरीय समस्याओं का समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समुचित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को देखते हुए विभिन्न नगरीय उपयोग हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु 5884 एकड़ विकसित क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 3281.5 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 55.8 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 3.7 प्रतिशत व्यावसायिक, 4.2 प्रतिशत औद्योगिक, 1.4 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय, 8.8 प्रतिशत आमोद-प्रमोद, 10.3 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक एवं शेष 15.8 प्रतिशत भूमि परिसंचरण हेतु शामिल है। वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका संख्या 13 में दर्शाया गया है :-

### तालिका संख्या-13

#### प्रस्तावित भू-उपयोग, मेड़ता सिटी- 2031

क्रम सं०	श्रेणी	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	3281.5	55.8	54.3
2.	व्यावसायिक	218	3.7	3.6
3.	औद्योगिक	248	4.2	4.1
4.	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय	84.5	1.4	1.4
5.	आमोद-प्रमोद	517	8.8	8.6
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	607	10.3	10.0
7.	परिसंचरण	928	15.8	15.4
	<b>प्रस्तावित विकसित क्षेत्र</b>	<b>5884</b>	<b>100.0</b>	<b>97.4</b>
8.	जलाशय	155	.	2.6
	<b>कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र</b>	<b>6039</b>	<b>.</b>	<b>100</b>

## 5.1 आवासीय :-

### 5.1 (1) आवासन :-

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गई है कि जिससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य-स्थलों और आमोद-प्रमोद के स्थल तक आने-जाने के समय में कमी हो। युक्ति संगत आवासीय विकास, नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे एवं लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही प्रतिदिन की आवश्यकताओं हेतु सुविधाएं एवं जनोपयोगी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 1,15,000 व्यक्तियों को बसाने के लिए वर्ष 2031 तक लगभग 3281.5 एकड़ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिससे औसत आवासीय घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा। मेड़ता सिटी में बिखरे रूप में विकास होने तथा आवासीय ले-आउट नगर के पूरे क्षेत्र में छितराए रूप से अनुमोदित होने के कारण अपेक्षाकृत आंकलित घनत्व कम है। नगरीयकृत क्षेत्र में ग्राम डांगावास एवं सोगावास क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, जो आज तक गाँव के रूप में विकसित हैं। नगर के भीतरी भाग एवं कार्य केन्द्रों के समीप अपेक्षाकृत उच्च आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया है, ताकि अधिकतर लोग इनके समीप ही रह सकें।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिए तीन प्रकार के आवासीय घनत्व प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें से एक 70 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम के आवासीय क्षेत्र, दूसरा 70-150 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं तीसरा 150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक कम के आवासीय क्षेत्र है। योजना में प्रस्तावित रिंग रोड एवं नगर के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र समस्त सामुदायिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रस्तावित किये गये हैं। यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है कि वर्तमान में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि नगर नियोजन विभाग से अनुमोदित हैं परन्तु प्रस्तावित परिधि नियन्त्रण पट्टी में आते हैं उन्हें यथावत रखा जा सकेगा।

आवासीय उपयोग समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अंतर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका, भू-उपयोग योजना के अनुसार आवासीय योजनाएं तैयार कर समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराए। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी राजस्थान अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आवास निर्मित करवा कर उपलब्ध करवाएं। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भू-खण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

### 5.1 (2) इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवास :-

नगर के पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। पुनर्स्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जाएगा जो

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और महत्वपूर्ण स्मारकों या मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुनर्विकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहां झुग्गी-झोपड़ियां स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची-बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

## 5.2 वाणिज्यिक :-

मेड़ता सिटी, नागौर जिले का एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित वाणिज्यिक और व्यापारिक केन्द्र है और भविष्य में भी रहेगा। आशा है कि कुल काम करने वाले व्यक्तियों का 25 प्रतिशत क्षितिज वर्ष 2031 तक विभिन्न व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यों में कार्यरत होगा। मास्टर प्लान में कुल 218 एकड़ भूमि इन क्रिया-कलापों हेतु प्रस्तावित की गई है। इन गतिविधियों को कस्बे में विभिन्न भागों में अधिक तर्क-संगत रूप से वितरित किये जाने और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र तक जाने से बचने के लिए एक पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तालिका संख्या 14 में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु प्रस्तावित भूमि को दर्शाया गया है:-

### तालिका संख्या-14

#### प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थलों का विवरण, मेड़ता सिटी-2031

क्रम सं०	वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	प्रमुख बाजार/वाणिज्यिक स्थल	23.0
2.	सामुदायिक केन्द्र	55.0
3.	अन्य वाणिज्यिक केन्द्र	33.0
4.	थोक व्यापार	34.0
5.	भण्डारण एवं गोदाम	73.0
<b>योग</b>		<b>218.0</b>

### 5.2 (1) प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र :-

मेड़ता सिटी, नागौर जिले का वर्तमान में एक मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है, जो पुराने शहर में स्थित है। यहां पर मुख्य नैना बाजार, मानक चौक, मीरां बाजार है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के आस-पास का क्षेत्र भी बाजार के रूप में विकसित हो रहे हैं जहां पर फुटकर व व्यापारिक लेन-देन होता है। नगर में प्रस्तावित गतिविधियों के साथ साथ पुराना नगर मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा।

## 5.2 (2) सामुदायिक केन्द्र :-

मेड़ता सिटी में नये विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से डांगावास योजना क्षेत्र में अजमेर सड़क पर 20 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। सोगावास योजना क्षेत्र में मोररा सड़क एवं नागौर सड़क के मध्य एवं 440 के वी विद्युत सबस्टेशन के पूर्व-पश्चिम में 28 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक योजना क्षेत्र में जोधपुर सड़क पर 7 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों में खुदरा दुकानों, जल पान गृह, छवि गृह, बैंक, डाकघर व पेट्रोल पम्प इत्यादि प्रस्तावित होंगे। इनकी स्थिति मय क्षेत्रफल तालिका संख्या 15 में दर्शायी गई है:-

**तालिका संख्या-15**  
**प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों का विवरण, मेड़ता सिटी-2031**

क्रम सं०	प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	डांगावास योजना क्षेत्र अजमेर सड़क पर प्रस्तावित स्थल	20
2.	सोगावास योजना क्षेत्र मोररा सड़क एवं नागौर सड़क के मध्य प्रस्तावित स्थल	28
3.	औद्योगिक योजना क्षेत्र जोधपुर सड़क पर प्रस्तावित स्थल	7
<b>योग</b>		<b>55</b>

## 5.2 (3) अन्य वाणिज्यिक केन्द्र :-

नगर में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के मद्देनजर अन्य वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गए हैं ताकि विभिन्न सेक्टर में छोटे-छोटे वाणिज्यिक केन्द्र/शॉपिंग सेन्टर विकसित हो सकें।

## 5.2 (4) थोक व्यापार :-

मेड़ता सिटी में 'ए' श्रेणी की अनाज मण्डी है। वर्तमान में यह मण्डी अनाज एवं सब्जी के लिए उपयोग में आ रही है जो कि केवल अनाज मण्डी हेतु प्रस्तावित है। नागौर रोड पर स्थित आई०टी०आई० के उत्तर-पूर्व में नगरपालिका द्वारा सब्जी मण्डी के लिए भूमि आरक्षित की गई है। इस समय नगर में अन्य थोक व्यापार हेतु अलग से कोई स्थान निर्धारित नहीं है, इस प्रकार की गतिविधियां स्टेशन एवं नगरपालिका के ईर्द-गिर्द संचालित की जा रही है। वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री एवं टिम्बर मार्केट हेतु कोई विशिष्ट बाजार नहीं है, उक्त प्रयोजनार्थ मेड़ता रोड पर जाने वाली सड़क पर भूमि आरक्षित की गई है।

## 5.2 (5) भण्डारण एवं गोदाम :-

मेड़ता सिटी के पश्य क्षेत्र में कृषि पैदावार के दृष्टिगत भण्डारण एवं गोदाम की सुविधा हेतु नगर के गोटन रोड पर स्थित जेल के उत्तर एवं पश्चिम के भाग में लगभग 73 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप है। यह स्थान थोक व्यापार एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए भण्डारण एवं गोदाम की सुविधा उपलब्ध करवायेगा।

## 5.3 औद्योगिक :-

वर्तमान में 75 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत स्थित है, जो विकसित क्षेत्र का लगभग 4.66 प्रतिशत है। वर्तमान में इस नगर में कोई भी वृहद् उद्योग स्थापित नहीं है। वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के समीप लगभग 173 एकड़ अतिरिक्त भूमि लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

### 5.3 (1) औद्योगिक क्षेत्र :-

मेड़ता सिटी में औद्योगिक क्षेत्र का चयन, वायु के बहाव की दिशा, आवागमन सुविधा, माल एवं व्यक्तियों के परिवहन के साधन अधिक बेहतर बनाने, आवासीय एवं कार्यक्षेत्र सम्बन्ध और भविष्य के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। बेदावड़ी सड़क के दक्षिण में लगभग 173 एकड़ भूमि को इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। रीको द्वारा उक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने का प्रावधान है।

### 5.3 (2) घरेलू उद्योग :-

आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्रों में घरेलू उद्योग कार्यरत रहने दिए जा सकते हैं। इन इकाइयों की स्थिति गुण-दोष के आधार पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि, धुआँ, रासायनिक प्रदूषण, परिवहन समस्या, औद्योगिक अवशेष, विसर्जन पद्धति इत्यादि पर विचार करके अनुमति दी जाएगी, जिससे उपरोक्त किसी प्रकार की समस्याएं विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में उत्पन्न न हों।

## 5.4 राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय :-

मेड़ता सिटी नागौर जिले का एक उपखण्ड कार्यालय है। यहां पर अधिकतर राजकीय कार्यालय स्टेशन सड़क पर स्थित हैं। नगर के अधिकांश राजकीय कार्यालय राजकीय भवनों में ही संचालित है। वर्ष 2031 तक विभिन्न राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालयों में लगभग 8096 व्यक्ति कार्यरत होने का अनुमान है। वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगभग 27 एकड़ अतिरिक्त भूमि विष्णुसागर के उत्तर में एवं 23 एकड़ भूमि अजमेर सड़क (एनएच-89) के दक्षिण में प्रस्तावित की गई है। जहाँ पर एक कार्यालय परिसर योजना विकसित की जा सकेगी

ताकि सभी राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय एक ही स्थल पर विकसित हो सकें।

### 5.5 आमोद-प्रमोद :-

मेड़ता सिटी के निवासियों एवं प्रवासियों को मनोरंजन, आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में मात्र 106 एकड़ भूमि ही विकसित है, अतः क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर 411 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें उद्यान एवं खुले स्थल, स्टेडियम एवं खेल के मैदान, मेले एवं पर्यटन स्थल तथा अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन के रूप में क्लब आदि का प्रावधान किया गया है।

#### 5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल :-

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये किसी सीमा तक नगर को सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक स्थलों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्ति संगत प्रावधान किया जाना आवश्यक है। नगर में उद्यानों एवं खुले स्थलों हेतु लगभग 250 एकड़ भूमि विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित की गई है। जिससे सभी क्षेत्रों में विशेषकर नये प्रस्तावित क्षेत्रों में खुला वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। क्षेत्रीय उद्यान हेतु डांगावास योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं डीयर पार्क वृक्षारोपण क्षेत्र के रूप में दर्शित किया गया है। नगर स्तरीय उद्यान हेतु सोगावास योजना क्षेत्र में लगभग 11 एकड़ भूमि उद्यान हेतु प्रस्तावित की गई है। यह भूमि विद्युत लाइन के नीचे स्थित है। नगर के प्रत्येक सेक्टर में सामुदायिक सुविधाओं के साथ साथ सेक्टर स्थल के उद्यान/खुले स्थल का प्रावधान किया गया है। यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य हो रहा है कि खुले स्थल हेतु तालाबों के आस-पास का क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है।

#### 5.5 (2) स्टेडियम व खेल का मैदान :-

मेड़ता सिटी में वर्तमान में कोई स्टेडियम नहीं है एवं उपलब्ध खेल मैदान में से एक भी नगरीय स्तर का नहीं है। डांगावास योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं डीयर पार्क के उत्तर-पूर्व में लगभग 30 एकड़ भूमि स्टेडियम एवं खेल मैदान हेतु प्रस्तावित की गई है।

#### 5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन :-

क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक भवन आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद-प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर के उत्तर-पूर्व भाग में नागौर बाईपास पर

राजकीय एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन के लिए लगभग 18 एकड़ भूमि का प्रावधान किया है।

#### 5.5 (4) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं :-

मेड़ता सिटी में नागौर रोड पर स्थित विद्यमान मेला स्थल को यथावत रखते हुए आसपास में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को भविष्य में विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार लगभग 125 एकड़ भूमि मेला विस्तार के रूप में प्रस्तावित की गई है।

#### 5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक :-

नगर के एकीकृत विकास एवं नागरिकों की स्थानीय/क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से मास्टर प्लान में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, सामुदायिक भवन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रावधान मास्टर प्लान में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग के अंतर्गत पर्याप्त स्थल भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये गये हैं। इन सुविधाओं के लिये कुल 607 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है जो नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का 10.3 प्रतिशत है।

#### 5.6 (1) शैक्षणिक :-

मेड़ता सिटी उपखण्ड मुख्यालय होने के साथ आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र भी है। सरकारी नीति के अनुसार शिक्षा का अधिकतम विकास करना आवश्यक है। इसी आधार पर क्षितिज वर्ष 2031 के लिए शैक्षणिक आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। नगर के नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उच्च स्तर के विद्यालयों हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक-एक विद्यालय हेतु स्थल प्रस्तावित है। नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधाओं के स्थल आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय निर्धारित किये जा सकेंगे। इन उपयोग हेतु नगर में चारों ओर अलग-अलग योजना क्षेत्रों में 6 स्थान हेतु 88 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

मेड़ता सिटी में एक महाविद्यालय उपलब्ध है। भविष्य में यहां पर महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु डांगावास योजना क्षेत्र में अजमेर-मेड़ता रोड (एनएच-89) के दक्षिण में लगभग 50 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

वर्ष 2031 की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या 16 में दर्शाया गया है।



**तालिका संख्या-16**  
**अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मेड़ता सिटी-2031**

क्रम सं०	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय में जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	6-10	6500	25	260
2.	उच्च प्राथमिक	11-13	7250	30	242
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14-17	15000	22	682
<b>योग</b>			<b>28750</b>	<b>77</b>	<b>373</b>

**5.6 (2) चिकित्सा :-**

वर्तमान में मेड़ता सिटी में एक राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सालय जो कि नागौर रोड पर स्थित है। जिसके विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इस चिकित्सालय के पूर्व में 5.5 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। यहां दो निजी चिकित्सालय संचालित हैं। यहां पर एक आर्युवैदिक चिकित्सालय भी स्थापित है। क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर मेड़ता शहर के लिए चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर हर योजना क्षेत्र/प्रत्येक सेक्टर में चिकित्सा सुविधाओं को सुविधाजनक दूरी में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस प्रयोजनार्थ 65 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रावधान उस क्षेत्र की योजना बनाते समय किया जा सकेगा।

वर्तमान में मेला मैदान के समीप एक छोटा पशु चिकित्सालय कार्यरत है। जिसके आस-पास स्थित रिक्त भूमि इसके विस्तार हेतु उपलब्ध है। अतः इस चिकित्सालय हेतु अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है।

**5.6 (3) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल :-**

मेड़ता नगर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है, जहां मीरां बाई मन्दिर क्षेत्र का विकास हेतु विस्तृत योजना बनाई जाएगी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के दक्षिण में स्थित दुर्ग क्षेत्र को भी विकसित किये जाने हेतु अलग से योजना बनाये जाने का प्रावधान है।

#### 5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं :-

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत बैंक, पुलिस स्टेशन, डाक एवं तार कार्यालय, दूरदर्शन, अग्निशमन-केन्द्र, क्लब, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, धर्मशालाएं, छात्रावास, छोटे स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। मेड़ता सिटी में उपलब्ध विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं के अतिरिक्त वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न स्थलों पर लगभग 71 एकड़ भूमि अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गई है।

#### 5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएं :-

जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज एवं विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अतः नगर के विस्तार के साथ-साथ इनका उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है। तथापि नगरीय प्रबन्धन व्यवस्था के अंतर्गत जनोपयोगी सुविधाओं की योजना की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों यथा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण विभाग तथा नगरपालिका की है।

#### 5.6 (5) (अ) जलापूर्ति :-

मेड़ता सिटी की जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत भू-गर्भिय जल है। जो कि 14 ट्यूबवैल से की जाती है। नगर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत 70 लीटर जल आपूर्ति की जाती है। अतः विद्यमान एवं भावी जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर जलदाय विभाग हेतु मेड़ता सिटी के लिए जलापूर्ति के विस्तार हेतु एक योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि नगर में शुद्ध जल की आपूर्ति में समुचित सुधार किया जा सके। जलदाय विभाग द्वारा नगर को फ्लोराइड फ्री वाटर प्राप्त करवाने के लिए भी योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रयोजनार्थ नगर के विभिन्न भागों में जनोपयोगी सेवाओं के लिए नये स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

#### 5.6 (5) (ब) विद्युत आपूर्ति :-

मेड़ता सिटी की जनसंख्या व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की मांग में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग योजना को ध्यान में रखकर विस्तृत विवरण की एक समुचित योजना तैयार करना अपेक्षित है। उक्त सेवा को जनोपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए नगर के विभिन्न भागों में पर्याप्त आकार के स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

#### 5.6 (5) (स) जल-मल निकास व्यवस्था :-

वर्तमान में मेड़ता सिटी में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। मेड़ता सिटी के लिए सीवरेज योजना स्थानीय निकाय द्वारा भू-उपयोग योजना के अनुरूप जल-मल

निकास की समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। जल-मल निकास संयंत्र का स्थान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से विचार-विमर्श कर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.6 (5) (द) ठोस कचरा प्रबन्धन :-

स्वच्छ वातावरण के लिए अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं इसके पुनचक्रण की उचित व्यवस्था आवश्यक है। ठोस कचरा (सोलिडवेस्ट) निस्तारण हेतु स्थलों का चयन नगर से दूर, वायु की दिशा को देखते हुए किया जाएगा तथा राजकीय भूमि की उपलब्धता इस प्रकार के स्थल के लिए मुख्य आधार रहेगा। ईट भट्टों एवं खदानों की अनुपयुक्त भूमि, यदि उपलब्ध हो तो इस प्रकार के कार्यों के लिये उपयोग में ली जा सकती है।

वर्तमान में मेड़ता सिटी में घरों से कूड़ा-करकट एकत्रित करने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों द्वारा सड़कों पर ही कूड़ा डाल दिया जाता है, जिसका समय पर उचित ढंग से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण नगर का पर्यावरण प्रदूषित रहता है। अतः यह आवश्यक है कि घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट को एकत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जावे, ताकि कचरा सड़कों पर नहीं फैले एवं ठोस कचरे के निस्तारण हेतु नगरपालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। ऐसी योजना को जवाहर लाल नहेरू अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत शीघ्र बनाकर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

### 5.6 (5) (य) श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

वर्तमान में मेड़ता सिटी में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तानों को यथावत् रखा गया है। भविष्य में नये श्मशान व कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार स्थापित किये जा सकेंगे।

### 5.7 परिसंचरण :-

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहां के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्थानीय जनता एवं पर्यटक आदि के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। कस्बे की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, वहां पर होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। मेड़ता सिटी अपने पश्य क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, अतः नगर एवं इसके पश्च क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है।

## 5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना :-

मेड़ता सिटी में वर्तमान में क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों पर रहता है। अजमेर से आने वाली एवं स्टेशन के सामने से गुजरने वाली सड़क (एन.एच 89) पर्याप्त रूप में चौड़ी कम होने के कारण इस पर यातायात का दबाव बना रहता है। इसी प्रकार मुख्य बाजार एवं उसके आस-पास यातायात का भारी दबाव रहता है। पुराने नगर में गलियां बहुत संकरी व टेढ़ी मेढ़ी हैं। शहर के बहारी क्षेत्र में स्थित आवासीय कॉलोनीयों में सड़कें अपेक्षातृक चौड़ी हैं। यातायात की समस्या को कम करने के लिए नगर के बाहर की ओर एक सम्पर्क मार्ग प्रस्तावित किया गया है। डांगावास योजना क्षेत्र, सोगावास योजना क्षेत्र, औद्योगिक योजना क्षेत्र एवं पुराना शहर योजना क्षेत्र में पदानुक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राज मार्ग, बाई पास एवं पी.डब्ल्यू.डी द्वारा प्रस्तावित बाह्य मार्ग 60 मीटर, शहर के अन्दर के प्रमुख सड़कें 36 मीटर, उप प्रमुख सड़कें 30 मीटर, मुख्य सड़कें 24 मीटर एवं अन्य सड़कें 18 मीटर एवं इससे कम का प्रावधान रखते हुए बहतर सड़क प्रतिरूप प्रस्तावित किया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में समन्वय स्थापित करेगा। जोधपुर, जेतारण, गोटन, नागौर एवं अजमेर को जोड़ने के लिए पी.डब्ल्यू.डी द्वारा बाह्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जो कि प्रस्तावित अरबन एरिया पर अंकित किया गया है।

## 5.7 (1) (अ) सड़कों का मार्गाधिकार :-

मास्टर प्लान के प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग नगर की प्रमुख सड़कों को मिलाते हुए, 36 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग, प्रमुख सड़कों, उप प्रमुख सड़कों, मुख्य सड़कों एवं अन्य सड़कों के निर्माण एवं सुधार हेतु नगर पालिका/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख व उप प्रमुख सड़कें, विभिन्न आवासीय एवं कार्य केन्द्रों के मध्य आवागमन सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करेगी। उक्त सड़कों का मार्गाधिकार यथासम्भव निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रखा जाएगा। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका संख्या 17 में तथा विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई को तालिका संख्या 18 में दर्शाया गया है :

**तालिका संख्या-17**  
**विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार—2031**

क्रम सं०	सड़कों का विवरण	न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर)
1	बाह्य मार्ग (पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा प्रस्तावित )	60
2	प्रस्तावित रिंग रोड (महादेव ढाबा से नागौर रोड तक)	60
3	अजमेर से मेड़ता सिटी (N.H 89) महादेव ढाबा तक	60
4	अजमेर नागौर बाई पास ( N.H 89)	60
5	मेड़ता रोड (SH 39) 0 KM Stone तक सड़क	60
6	लाम्बीया सड़क (SH 39)	60
7	जोधपुर रोड (SH 31)	60
8	गोटन रोड (लाम्बीया रोड तक)	60
9	प्रस्तावित रिंग रोड	36
10	प्रस्तावित रिंग रोड(मालकोट किले के दक्षिण में)	30
11	अजमेर रोड (महादेव ढाबा से प्राईवेट बस स्टैण्ड के चौराहे तक )	30
12	विष्णु सागर से बाईपास ( N.H 89) तक सड़क	30
13	आई.टी.आई से (दूधा सागर के समीप) तिराहे तक सड़क	30
14	भूरासनी सड़क	30
15	रिंग रोड से डांगावास गांव की आबादी तक प्रस्तावित सड़क	24
16	खेडोली सड़क	24
17	440 के.वी ग्रीडस्टेशन से दूधा सागर तक (मेला ग्राउन्ड के बाहरी क्षेत्र में प्रस्तावित) सड़क	24
18	रेलवे लाईन के सहारे प्रस्तावित सड़क	24
19	लाम्बिया को जाने वाली सड़क (SH-39) के साथ पूर्व दिशा में प्रस्तावित सड़क	24
20	प्राईवेट बस स्टैण्ड चौराहे से नगर पालिका तक सड़क	18
21	दूधा सागर तिराहे से नगर पालिका तक सड़क	18
22	दूधा सागर तिराहे से बस स्टैण्ड तक सड़क	18
23	मालकोट किले से जैतारण रोड को मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क	18
24	नगर पालिका से लाम्बीया रोड तक सड़क	18 से कम
25	पुरानी आबादी क्षेत्र में सड़कें	18 से कम

**तालिका संख्या-18**  
**विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई— 2031**

क्र० सं०	सड़कों की श्रेणी	सड़कों का मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय राज्य मार्ग/राज्य राजमार्ग एवं बाई पास	60
2.	प्रमुख मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग	36
3.	उप प्रमुख मार्ग	30
4.	मुख्य मार्ग	24
5.	अन्य सड़कें	18

**5.7 (1) (ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :-**

विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग, जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहां तक सम्भव हो मानक चौड़ाई के होंगे, किन्तु नगर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा नगर के बीच सड़कें चौड़ी किया जाना सम्भव नहीं है या सड़कें चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अधिक संख्या में इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य प्रस्तावित भू-उपयोग एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हों। जहाँ तक आवश्यक हो नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्य योजनाएं बनाकर उनके अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहिए।

राजमार्ग एवं प्रमुख प्रस्तावित बाह्य मार्ग, जिनका मार्गाधिकार 60 मीटर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्धारित किया जाए, के दोनों ओर सड़क के मध्य से पर्याप्त मार्गाधिकार की दूरी रखते हुए, सर्विस रोड़ रखी जाएगी। इस सर्विस रोड़ के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिए 4.5 मीटर अथवा मार्गाधिकार की समुचित चौड़ाई के अनुपात में अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ा जाएगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर सभी राजमार्गों/बाईपास/बाह्य मार्ग एवं सम्पर्क मार्गों के सहारे उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 50 फीट चौड़ी पट्टी सघन पौधारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् ही किए जा सकेंगे।

### 5.7 (1) (स) पार्किंग स्थलों का विकास :-

मेड़ता सिटी में सड़कों का मार्गाधिकार कम होने के कारण वाहनों के पार्किंग में काफी परेशानी आती है, अतः स्थानीय निकाय द्वारा पार्किंग हेतु स्थलों का चयन कर पार्किंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों की योजना बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

### 5.7 (1) (द) चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण :-

मेड़ता सिटी में स्थित विद्यमान/प्रस्तावित चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना में 6 मुख्य चौराहों को प्रस्तावित किया गया है। ये चौराहे अजमेर राष्ट्रीय राज्य मार्ग एनएच 89, नागौर मार्ग, मेड़ता रोड़ मार्ग एवं कुन्डल तालाब के पूर्व में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित है। जिनकी विस्तृत योजना अलग से बनाई जाकर क्रियान्वित की जाएगी।

### 5.7 (2) बस अड्डा तथा यातायात नगर :-

#### 5.7 (2)(i) बस अड्डा :-

मेड़ता सिटी में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में जहां बसे ठहरती है, वह स्थल पर्याप्त नहीं है। डांगावास योजना क्षेत्र में ग्राम डांगावास के दक्षिण एवं एनएच 89 पर बस स्टैण्ड हेतु 25.7 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है।

#### 5.7 (2)(ii) यातायात नगर :-

वर्तमान में आईडीएसएमटी योजना के तहत गोटेन मार्ग पर यातायात नगर के विस्तार हेतु 22 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। मेड़ता सिटी की परिवहन सुविधा की दृष्टि से इसके अतिरिक्त बेदावड़ी सड़क पर 18 एकड़ भूमि ट्रक टर्मिनल हेतु प्रस्तावित की गई है, जो प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र तथा अनाज मण्डी के समीप होने से वस्तुओं के लदान की दृष्टि से उपयुक्त स्थल रहेगा। इस ट्रक स्टैण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाईल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

### 5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा :-

वर्तमान में मेड़ता सिटी को पुष्कर से जोड़ने के लिए रेल अधिकारी द्वारा सर्वे किया गया है। जिसकी रिपोर्ट एवं प्रस्ताव जयपुर के जोनल कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। जिसको अनुमोदन पश्चात मास्टर प्लान में समायोजित कर लिया जाएगा।

## 5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :-

करबे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन रूप में (कॉम्पेक्ट) बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से होने का प्रावधान रहेगा।

परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, होटल, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस मौटेल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग, उद्योग इत्यादि निर्धारित मापदण्ड/अनुमोदित सेट बैक के साथ आ सकेंगे।

## 5.9 ग्रामीण आबादी क्षेत्र :-

परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर, किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गाँवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। गाँवों का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढ़ने दिया जाएगा, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सकें। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर चिंतन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि जनता आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में मानकच्युत एवं यदृच्छ नगरीय विकास को जन्म देगी जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगरीय विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनके रह जाएगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार अपेक्षित है।



## 6

# योजना का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इनका क्रियान्वयन करने के लिए सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाही समय पर की जाए। मेड़ता सिटी का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक-सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान उपयोगों का कम से कम स्थान परिवर्तन का ध्येय रहा है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और मेड़ता सिटी को आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्यकर नगर बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

### 6.1 वर्तमान आधार :-

मेड़ता सिटी के लिए विद्यमान स्थानीय निकाय, मेड़ता सिटी, नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिससे कि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यो को प्रभावी तरीके से नियोजित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं, जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

### 6.2 प्रस्तावित आधार :-

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगर पालिका, मेड़ता सिटी का रहेगा। इस मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जाएगी। मास्टर प्लान लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी जिसकी सार्वजनिक सूचना कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी कि मेड़ता सिटी के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जाएंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाएगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर की नगर पालिका, मेड़ता सिटी में आम जनता के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी तथा इसे निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।

नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव एवं परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। जलापूर्ति व जल-मल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्धन व सड़क विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन नगर नियोजन विभाग के परामर्श के अनुरूप किया जाएगा।

मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का दायित्व अपने क्षेत्राधिकार में नगर पालिका, मेड़ता सिटी वहन करेगी, जबकि क्रियान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, नागौर तथा सम्बन्धित उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० इसके सदस्य होंगे एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मेड़ता सिटी इसके सदस्य सचिव रहेंगे। यह समिति, समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहवर्तित सदस्य नियुक्ति के लिए अधिकृत होगी। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाएगी। उक्त समिति वर्ष में दो बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सन्बन्ध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को भेजेगी।

दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह एक विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिये जाएं। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर करने होंगे।

### 6.3 जन सहयोग एवं जनसहभागिता :-

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वहां की जनता का पूर्ण एवं सक्रिय-सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर के निवासी मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें तभी योजना की सफलता सम्भव है।

### 6.4 भू-उपयोग अंकन भूमि अवाप्ति :-

मेड़ता सिटी के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, रिक्त एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना मानचित्र-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जाएगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है, तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग से परीक्षणों उपरांत नगर नियोजन विभाग की अनुशंषा पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही समायोजित मानी जाएगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी नाले जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपांतरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास हेतु भूमि अवाप्त की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

### 6.5 योजना का क्रियान्वयन :-

मास्टर प्लान में नगर के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना बनाएगी व उसकी क्रियान्विति विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु करेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास करेगी।

### 6.6 उपसंहार :-

मास्टर प्लान भावी विकास की एक तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। मेड़ता सिटी का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में प्रस्तावित सुविधाएं विकसित करके सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि हो सकेगी। मेड़ता सिटी को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

मेड़ता सिटी का विकास क्षेत्र, वर्तमान में पूर्व में ग्राम डांगावास एवं पश्चिम में ग्राम सोगावास तक हो गया है। इसके साथ ही वर्ष 2031 तक प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र भी ग्राम डांगावास एवं ग्राम सोगावास की आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये एवं नगरपालिका सीमा से बाहर प्रस्तावित है अतः मास्टर प्लान के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सीमा को कस्बे की प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र सीमा तक बढ़ाया जाना उचित होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959  
अध्याय द्वितीय  
मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाएं और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

**6- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :**

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

**7- मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :**

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धारण  
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)  
RULES, 1962**

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959) the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

**RULES**

**1. Short title and Commencement:-**

- (1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

**2. Definitions:-** In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

- (1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,
- (3) "Section" means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

**3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-**

- <sup>1</sup>["(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area invitation suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]<sup>2</sup>.

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-
- a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
  - b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
  - c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
  - d. Written analysis and written statement to support the proposals.
  - e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

**4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-**

<sup>1</sup>[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same <sup>2</sup>[if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]

क्रमांक : प. 10(3)नविवि/3/11

जयपुर, दिनांक : 28 जनवरी, 2011

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर, को मेड़ता सिटी, जिला नागौर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village	जिला
1	मेड़ता	MERTA	नागौर
2	डांगावास	DANGAWAS	नागौर
3	सोगावास	SOGAWAS	नागौर

राज्यपाल की आज्ञा से  
ह0/-  
(पुरुषोत्तम बियाणी)  
शासन उप सचिव-प्रथम



क्रमांक : प. 10(3)नविवि/3/11

जयपुर, दिनांक : 2 अगस्त 2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.1.2011 के द्वारा यथा अधिसूचित "मेडतासिटी" जिला नागौर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

मेडतासिटी मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका, मेडतासिटी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्य पाल की आज्ञा से

ह0/—

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को मय सीडी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
6. जिला कलक्टर, नागौर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मेडतासिटी।
8. रक्षित पत्रावली।

ह0/—

(प्रदीप कपूर)

उप नगर नियोजक